न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(डॉ.भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र अवमानना संख्याः 90/2022
दायर दिनांकः 05.12.2022
निर्णय दिनांक 20.02.2024

—:अनवानः—

स्व. श्री नानुराम पिता किशोर जी, मृत्यु होने के कारण
1. जितेन्द्र कुमार पिता स्व. श्री नानुराम जी, जाति खटीक,
2. भूपेन्द्र कुमार पिता स्व. श्री नानुराम जी, जाति खटीक,
निवासीयान कुमारिया खेडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज०)।

— प्रार्थीगण

—:बनामः—

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, 6ए 1 आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द ।
3. जे.के. सर्कल ठेकेदार श्री पवनदीप सिंह जी मोबाईल नम्बर 988543640 व प्रभारी मौका इन्चार्ज धर्मेश जी मोबाईल नम्बर 6398649530, जे.के. सर्कल कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)।

— विपक्षीगण

प्रार्थना—पत्र बाबत् न्यायालय की अवमानना करने से कार्यवाही बाबत

उपस्थित :—

1— श्री जितेन्द्र कुमार खटीक, अधिवक्ता प्रार्थी।
2— श्री विनोद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01।
3— अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।
4— अप्रार्थी संख्या 03 अनुपस्थित।

: निर्णय :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 18/08/2022 को प्रकरण संख्या 02/2019 में स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया था, जिसमें श्रीमान् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भुगतान सुनिश्चत करें व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुए किया गया आदेश था। जबकि उक्त सम्बन्ध में जमीन के सम्बन्ध में रेकर्ड पत्रावली में

ही प्रार्थी के भाईयों की जमीन की भुगतान अनुरूप राशि की प्रमाणित पत्रावली उसी समय उस पत्रावली में ही लगा दी गई थी, यानि की उसी समय साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था और जमीन के सम्बन्ध में उस दस्तावेज के आधार पर ही आप न्यायालय ने उस अनुरूप राशि का भुगतान करने का आदेश प्रदान किया गया था एवं पेड़ व मोटर उपकरण के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक द्वारा मौके पर आकर निरीक्षण कर मोटर उपकरण व पेड़ को देखकर ही जवाब में स्वीकार कर कार्यवाही करने का जवाब में उल्लेख किया गया था और नियमानुसार राशि देने की कार्यवाही की जा रही हैं, उल्लेखित जवाब में किया गया था। यानि की किसी भी मुद्दे पर कोई विवाद शेष नहीं था। यह कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 के समक्ष पेश कर नियमानुसार मुआवजा राशि की मांग की गई, तब विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पत्र लिखकर वेल्युअर राशि का बहाना बनाते हुए उस पर डालकर वेल्युवेशन रिपोर्ट का बहाना बनाकर जानबुझकर लम्बित किया, जबकि यह कार्य जो 3 दिन में हो सकता है, उस कार्य को 3 माह से भी अधिक समय होने के बावजूद अभी तक राशि नहीं दी गई हैं एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा स्वयं अपने पत्र दिनांक 20/09/2022 को परियोजना निदेशक को भेजे गये पत्र में स्वयं यह उल्लेखित एवं अवस्थित होना नीम का पेड़ व 5 एच. पी. मोटर उपकरण बताया। अब बेवजह येन केन प्रकारेण एक–दूसरे पर डालकर मामले को लम्बित किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1. विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 3 का बार–बार मौखिक व व्यक्तिशः मिलकर व मोबाईल पर बार–बार निवेदन किया गया, पर अभी तक वह कोई भी राशि अदा करने के इच्छुक नहीं हैं एवं आदेश को धत्ता बताते हुए उसकी जानबुझकर अवहेलना कर रहे हैं। यह कि मुझे परियोजना निदेशक द्वारा भी एक पत्र भेजते हुए कि दिनांक 01/11/2022 को मैसर्स अमोद्य कसन्टेट को पत्र भेजा, जिसकी प्रति मुझे भी भेजी, जिसके अनुसार मौके पर सर्वेयर ने पेड़ व मोटर उपकरण की मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई, जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर दिनांक 6/11/2022 को कराये गये और मौका अवलोकन कर हमें कहा कि शीघ्र ही आपको राशि मिल जायेगी और कल ही इसकी रिपोर्ट एन.एच.आई भीलवाड़ा में पेश कर दूंगा और आपको जल्द ही नियमानुसार राशि मिल जायेगी और कहा कि अब कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि भौतिक रूप से वस्तुए वहीं उपलब्ध थी, जिससे हम आश्वस्त हो गये। विपक्षी संख्या 3 को हमने जब पूर्व में कहा तो उन्होने कहा कि हमारे एन.एच. वालो ने कहा कि इनका कोई पैसा बाकी नहीं हैं और हमसे कोई राशि नहीं ले सकते। अधिकारियों ने यही कहा हैं और हम कोई आदेश नहीं मानते हैं। जब मैने ठेकेदार व इन्चार्ज से बात की, तो उन्होने कहा कि हम अगर आपकी राशि बाकी हैं, तो हम यहां कार्य नहीं करेगें, बस कहा, लेकिन मौके पर हमारी बात नहीं मानते हुए हमारे पत्थर व रेती भी उठाकर ले गये और काम में ले लिये और कह रहे हैं कि हमें हाईवे वालो ने कहा हैं कि इनका कोई पैसा बाकी नहीं हैं और इनको पैसा नहीं देना हैं। इस प्रकार न्यायालय आदेश की अवमानना की जा रही हैं।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित देकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने हस्तगत अवमानना प्रार्थना पत्र श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2022 की पालना कराये जाने बाबत् प्रस्तुत किया है, जबकि मध्यस्थ महोदय द्वारा पारित आदेश/पंचाट को माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 के तहत न्यायालय की

डिक्री मानी गई है और उसका प्रवर्तन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधो के अनुसार न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण द्वारा मध्यस्थ महोदय द्वारा पारित आदेश/पंचाट दिनांक 18.08.2022 की पालना कराये जाने बाबत् आवेदन प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष ही कानूनन दायर किया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थीगण का अवमानना प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा दिनांक 18/08/2022 को प्रकरण संख्या 02/2019 में स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया था, जिसमें श्रीमान् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भुगतान सुनिश्चत करें व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुए किया गया आदेश था। जबकि उक्त सम्बन्ध में जमीन के सम्बन्ध में रेकर्ड पत्रावली में ही प्रार्थी के भाईयों की जमीन की भुगतान अनुरूप राशि की प्रमाणित पत्रावली उसी समय उस पत्रावली में ही लगा दी गई थी, यानि की उसी समय साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था और जमीन के सम्बन्ध में उस दस्तावेज के आधार पर ही आप न्यायालय ने उस अनुरूप राशि का भुगतान करने का आदेश प्रदान किया गया था एवं पेड़ व मोटर उपकरण के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक द्वारा मौके पर आकर निरीक्षण कर मोटर उपकरण व पेड़ को देखकर ही जवाब में स्वीकार कर कार्यवाही करने का जवाब में उल्लेख किया गया था और नियमानुसार राशि देने की कार्यवाही की जा रही हैं, उल्लेखित जवाब में किया गया था। यानि की किसी भी मुद्दे पर कोई विवाद शेष नहीं था। यह कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 के समक्ष पेश कर नियमानुसार मुआवजा राशि की मांग की गई, तब विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पत्र लिखकर वेल्युअर राशि का बहाना बनाते हुए उस पर डालकर वेल्युवेशन रिपोर्ट का बहाना बनाकर जानबुझकर लम्बित किया, जबकि यह कार्य जो 3 दिन में हो सकता है, उस कार्य को 3 माह से भी अधिक समय होने के बावजूद अभी तक राशि नहीं दी गई हैं एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा स्वयं अपने पत्र दिनांक 20/09/2022 को परियोजना निदेशक को भेजे गये पत्र में स्वयं यह उल्लेखित एवं अवस्थित होना नीम का पेड़ व 5 एच.पी. मोटर उपकरण बताया। अब बेवजह येन केन प्रकारेण एक–दूसरे पर डालकर मामले को लम्बित किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1. विपक्षी संख्या 2 व विपक्षी संख्या 3 का बार–बार मौखिक व व्यक्तिशः मिलकर व मोबाईल पर बार–बार निवेदन किया गया, पर अभी तक वह कोई भी राशि अदा करने के इच्छुक नहीं हैं एवं आदेश को धत्ता बताते हुए उसकी जानबुझकर अवहेलना कर रहे हैं। यह कि मुझे परियोजना निदेशक द्वारा भी एक पत्र भेजते हुए कि दिनांक 01/11/2022 को मैसर्स अमोद्य कसन्टेट को पत्र भेजा, जिसकी प्रति मुझे भी भेजी, जिसके अनुसार मौके पर सर्वेयर ने पेड़ व मोटर उपकरण की मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई, जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर दिनांक 6/11/2022 को कराये गये और मौका अवलोकन कर हमें कहा कि शीघ्र ही आपको राशि मिल जायेगी और कल ही इसकी रिपोर्ट एन.एच.आई भीलवाड़ा में पेश कर दूंगा और आपको जल्द ही नियमानुसार राशि मिल जायेगी और कहा कि अब कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि भौतिक रूप से वस्तुए वहीं उपलब्ध थी, जिससे हम आश्वस्त हो गये। विपक्षी संख्या 3 को हमने जब पूर्व में कहा तो उन्होने कहा कि हमारे एन.

एच. वालो ने कहा कि इनका कोई पैसा बाकी नहीं हैं और हमसे कोई राशि नहीं ले सकते। अधिकारियों ने यही कहा हैं और हम कोई आदेश नहीं मानते हैं। जब मैने ठेकेदार व इन्चार्ज से बात की, तो उन्होने कहा कि हम अगर आपकी राशि बाकी हैं, तो हम यहां कार्य नहीं करेगें, बस कहा, लेकिन मौके पर हमारी बात नहीं मानते हुए हमारे पत्थर व रेती भी उठाकर ले गये और काम में ले लिये और कह रहे हैं कि हमें हाईवे वालो ने कहा हैं कि इनका कोई पैसा बाकी नहीं हैं और इनको पैसा नहीं देना हैं। इस प्रकार न्यायालय आदेश की अवमानना की जा रही हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप श्रीमान के न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने हस्तगत अवमानना प्रार्थना पत्र श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2022 की पालना कराये जाने बाबत् प्रस्तुत किया है, जबकि मध्यस्थ महोदय द्वारा पारित आदेश/पंचाट को माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 के तहत न्यायालय की डिक्री मानी गई है और उसका प्रवर्तन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंधो के अनुसार न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण द्वारा मध्यस्थ महोदय द्वारा पारित आदेश/पंचाट दिनांक 18.08.2022 की पालना कराये जाने बाबत् आवेदन प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष ही कानूनन दायर किया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थीगण का अवमानना प्रार्थना पत्र श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य हैं। जिसका समर्थन अप्रार्थी संख्य 02 द्वारा किया गया।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36** के अनुसरण में श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर अस्वीकार किया जाता हैं।

Bullo

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bullo

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)